<u>2018 का विधेयक सं. 28</u>

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा 171 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (16) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) खण्ड (17) के विद्यमान उप-खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब के, योगक या सट्टेबाज को अनुज्ञप्ति के माध्यम से, क्रियाकलाप या ऐसे क्लब में किसी अनुज्ञप्तिधारी सट्टेबाज के क्रियाकलाप; और";

(घ) विद्यमान खण्ड (18) हटाया जायेगा;

(ड) खण्ड (35) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (ग)" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(च) खण्ड (69) के उप-खण्ड (च) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 371" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और अनुच्छेद 371ञ" अन्त:स्थापित की जायेगी; और

(छ) खण्ड (102) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति "सेवाओं" में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या उनकी व्यवस्था करना सम्मिलित है;"।

3. **2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 7 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "हों या नहीं;" के पश्चात्, शब्द "और" अंत:स्थापित किया जायेगा और सदैव अंत:स्थापित किया गया समझा जायेगा;

(ii) खण्ड (ग) में, अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "; और" के स्थान पर, विराम चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा; और

(iii) विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा और सदैव हटाया गया समझा जायेगा;

(ख) विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी और सदैव अंत:स्थापित की गयी समझी जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) जहां कतिपय क्रियाकलाप या संव्यवहार उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई प्रदाय गठित करते हैं, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट या तो माल के प्रदाय या सेवा के प्रदाय के रूप में माना जायेगा।"; और

(ग) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) और उप-धारा (2)" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "उप-धारा (1), (1क) और (2)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का एक वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त करेंगे और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी है।"।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(क) उप-धारा (1) में-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर," के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक करोड़ रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "एक करोड़ पचास लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य में पण्यावर्त के दस प्रतिशत से अनधिक के मूल्य या पांच लाख रुपए, जो भी अधिक हो, की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न) का प्रदाय कर सकेगा।"; और

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) उप-धारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "की उप-धारा (1)" हटायी जायेगी।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) में, खण्ड (क) और (ख) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "की उप-धारा (2)" हटायी जायेगी।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में,-

(क) खण्ड (ख) में, विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या, यथास्थिति, सेवा प्राप्त कर ली है-

(i) जहां प्रदायकर्ता द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा कार्य कर रहा हो, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;

(ii) जहां प्रदायकर्ता द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्धे किसी व्यक्ति को सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।"; और

(ख) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 41" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 41 या धारा 43क" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(क) उप-धारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "छूट-प्राप्त प्रदाय का मूल्य" में, अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।";

(ख) उप-धारा (5) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(क) व्यक्तियों के परिवहन के लिए तेरह से अनधिक (चालक सहित) की अनुमोदित बैठक क्षमता वाले मोटर यान, सिवाय तब के जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:-

(क) ऐसे मोटर यानों का और प्रदाय; या

(ख) यात्रियों का परिवहन; या

(ग) ऐसे मोटर यानों का चालन प्रशिक्षण देना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब के जब उनका उपयोग-

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:-

(क) ऐसे जलयान और वायुयान का और प्रदाय; या

(ख) यात्रियों का परिवहन; या

(ग) ऐसे जलयान का नौचालन प्रशिक्षण देना; या

(घ) ऐसे वायुयान का उड़ान प्रशिक्षण देना;

(ii) माल के परिवहन के लिए किया जाता है;

(कख) साधारण बीमा, मोटर यानों की सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव की सेवाएं, जहां तक कि वे खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटर यान, जलयान या वायुयान से संबंधित हैं:

परन्तु ऐसी सेवाओं के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा-

(i) जहां खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटर यान, जलयान या वायुयान का उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) जहां ऐसे किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो-

(I) ऐसे मोटर यान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटर यान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए-

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटर यान, जलयान या वायुयान का पट्टे, किराये या भाड़े पर दिया जाना, सिवाय तब के जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:

परन्तु ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा जहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के एक कारक के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और

(iii) कर्मचारियों को प्रावकाश पर दिये जाने वाले यात्रा संबंधी फायदे, जैसेकि छुट्टी या गृह यात्रा रियायत:

परन्तु ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय तब ही उपलब्ध होगा, जब किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, उसे उपलब्ध कराना बाध्यकर हो।"।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 के स्पष्टीकरण के खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रविष्टि 84" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "प्रविष्टि 84 तथा 92क" प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 में,-

(क) उप-धारा (1) के परन्तुक में अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जहां ऐसा व्यक्ति, किसी विशेष प्रवर्ग के राज्य से, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट संकलित पण्यावर्त में वृद्धि की है, माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित पण्यावर्त ऐसे बढ़ाये गये पण्यावर्त के समतुल्य रकम से अधिक है।"; और

(ख) स्पष्टीकरण के खण्ड (iii) में, विद्यमान शब्द "से" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "संविधान के अनुच्छेद" से पूर्व, अभिव्यक्ति "जम्मू-कश्मीर राज्य और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखण्ड राज्यों के सिवाय," अंत:स्थापित की जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (x) में विद्यमान अभिव्यक्ति "वाणिज्य प्रचालक" के पश्चात् और विद्यमान विराम चिह्न ";" से पूर्व, अभिव्यक्ति "जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण की अपेक्षा है" अंत:स्थापित की जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 में,-

(क) उप-धारा (1) के परन्तुक में अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में यथापरिभाषित कोई यूनिट है, या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, को पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए

आवेदन करना होगा, जो राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।"; और

(ख) उप-धारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राज्य में कारबार के बहुल स्थान रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।"।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 29 में,-

(क) शीर्षक में, विद्यमान शब्द "रद्दकरण" के पश्चात्, अभिव्यक्ति "या निलंबन" अंत:स्थापित की जायेगी;

(ख) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में, विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में फाइल की गयी कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाएं, निलंबित किया जा सकेगा।"; और

(ग) उप-धारा (2) के परन्तुक में, विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से, जो विहित की जायें, निलंबित कर सकेगा।"।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभावित कराधेय मूल्य या कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "एक या अधिक कर बीजक जारी किये गये हैं और उन कर बीजकों में प्रभावित कराधेय मूल्य या कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्राप्तिकर्ता द्वारा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों का प्रदाय किया है प्रदायकर्ता को ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट जमा पत्र जारी कर सकेगा" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है प्राप्तिकर्ता को वित्तीय वर्ष में किये गये प्रदाय के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी कर सकेगा, जिनमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जो विहित की जाएं" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (3) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "एक या अधिक कर बीजक जारी किये गये हैं और उन कर बीजकों में" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट नामे नोट जारी करेगा" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "प्राप्तिकर्ता को वित्तीय वर्ष में किये गये प्रदाय के लिए एक या अधिक नामे नोट जारी करेगा, जिनमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जो विहित की जाएं" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) में, विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किये जाने के अध्यधीन हैं।"।

17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसाकि विहित किया जाए" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस या उससे पूर्व" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं," प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे कतिपय वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और रक्षोपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी देंगे।";

(ख) उप-धारा (7) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे कतिपय वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और रक्षोपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी देने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व ऐसी विवरणी के अनुसार, शोध्य कर या उसका कोई भाग सरकार को संदत्त करेंगे।"; और

(ग) उप-धारा (9) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जैसाकि विहित किया जाए," प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात्" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए, या दूसरी तिमाही के लिए, विवरणी देने की नियत तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात्" प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 43क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 43 के पश्चात् और विद्यमान धारा 44 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**43क. विवरणी देने और इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया.-** (1) धारा 16 की उप-धारा (2), धारा 37 या धारा 38 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन दी गयी विवरणियों में, प्रदायकर्ताओं द्वारा किये गये प्रदायों के ब्यौरे को सत्यापित, विधिमान्य, उपांतरित करेगा या उन्हें हटायेगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नहीं दिये गये जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में उक्त उप-धारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा दिये गये ब्यौरे के आधार पर, उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अनधिक इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी जिसका इस प्रकार उपभोग किया जा सकता है।

(5) ऐसे जावक प्रदायों में विनिर्दिष्ट कर की रकम, जिसके लिए प्रदायकर्ता द्वारा उप-धारा (3) के अधीन ब्यौरे दिये गये हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में मानी जायेगी।

(6) किसी प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथक्तः, जावक प्रदाय, जिनके ब्यौरे उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन दिये गये हैं, किन्तु जिनकी विवरणी नहीं दी गयी है, के संबंध में कर संदत्त करने या, यथास्थिति, उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय संदत्त करने के लिए दायी होंगे।

(7) उप-धारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति से की जायेगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलत तरीके से उपभोग की गयी एक हजार रुपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने का उपबंध किया जा सकेगा।

(8) ऐसे जावक प्रदायों, जिनके ब्यौरे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप-धारा (3) के अधीन दिये जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, रक्षोपाय और कर की रकम की सीमा,-

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर-भीतर;

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की नियत तारीख से दो मास से अधिक के लिए जारी रहता है,

ऐसी होगी, जो विहित की जाए।"।

19. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 48 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 45 के अधीन विवरणी देने और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जैसाकि विहित किया जाये, प्राधिकृत कर सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(क) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 41" के स्थान पर, "धारा 41 या धारा 43क" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (5) में,-

(i) खण्ड (ग) में, विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राज्य कर के मद्धे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के प्रति केवल वहां किया जायेगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्धे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;"; और

(ii) खण्ड (घ) में, विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्धे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के प्रति केवल वहां किया जायेगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्धे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;"।

21. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धाराएं 49क एवं 49ख का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 49 के पश्चात् और विद्यमान धारा 50 से पूर्व, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"**49क. कतिपय शर्तों के अध्यधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग.-** धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के मद्धे, इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, एकीकृत कर या, यथास्थिति, राज्य कर के संदाय के प्रति, केवल तब किया जायेगा जब एकीकृत कर के मद्धे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे संदाय के प्रति पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है।

49ख. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम.- इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उप-धारा (5) के खण्ड (ङ) और खण्ड (च) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्धे इनपुट कर प्रत्यय का, ऐसे किसी कर के संदाय के प्रति उपयोग किये जाने के क्रम और रीति को विहित कर सकेगी।"।

22. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (9) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 37" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 37 या धारा 39" प्रतिस्थापित की जायेगी।

23. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(क) उप-धारा (8) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "शून्य अंकित माल या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसे शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर संदत्त कर" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात पर, या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसे निर्यात के लिए किया गया है पर, संदत्त कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) स्पष्टीकरण के खण्ड (2) में,-

(i) उप-खण्ड (ग) की मद (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विदेशी मुद्रा में" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संदाय की प्राप्ति" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या भारतीय रुपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाये," अंत:स्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ङ) उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन उपयोग न किये गये इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस कालावधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उद्भूत होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी देने की नियत तारीख;"।

24. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 79 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 79 में, विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "व्यक्ति" में, धारा 25 की उप-धारा (4) या, यथास्थिति, उप-धारा (5) में यथानिर्दिष्ट "सुभिन्न व्यक्ति" सम्मिलित होंगे।"।

25. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बराबर राशि का" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संदाय नहीं किया गया हो" से पूर्व, अभिव्यक्ति ", अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अध्यधीन रहते हुए," अंत:स्थापित की जायेगी।

26. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 112 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बराबर राशि" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संदत्त न कर दी" से पूर्व, अभिव्यक्ति ", अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अध्यधीन रहते हुए," अंत:स्थापित की जायेगी।

27. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 129 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (6) में, जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "सात दिवस" आयी है उसके स्थान पर, अभिव्यक्ति "चौदह दिवस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

28. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 143 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ख) के परन्तुक में अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किये जाने पर, आयुक्त द्वारा एक वर्ष और तीन वर्ष की कालावधि को, क्रमश: एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की और कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।"।

29. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 1 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "व्यक्ति" प्रतिस्थापित की जायेगी।

30. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के शीर्षक में, विद्यमान शब्द "क्रियाकलापों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "को माल" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या संव्यवहारों" अंत:स्थापित की जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित की हुई समझी जायेगी।

31. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,-

(i) विद्यमान पैरा 6 के पश्चात् और विद्यमान स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर, भारत में माल के प्रवेश किये बिना, ऐसे माल का प्रदाय।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागारित माल का प्रदाय।

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, भारत से बाहर स्थित आरम्भ पत्तन से माल के प्रेषण किये जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिये जाने से पूर्व माल पर हक के दस्तावेजों के पृष्ठांकन द्वारा, माल का प्रदाय।";

(ii) विद्यमान स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण 2.-** पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "भांडागारित माल" का वही अर्थ होगा, जो उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में समनुदेशित किया गया है।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को, राजस्थान राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने के दृष्टिकोण से अधिनियमित किया गया था।

उक्त अधिनियम विद्यमान करदाताओं के लिए नयी माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारु संक्रमण के लिए कतिपय उपबंधों का उपबंध करता है। तथापि, नयी कर व्यवस्था ने कतिपय कठिनाइयों का सामना किया है। करदाताओं, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों को हुई मुख्य असुविधाओं में से एक माल और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी फाइल करने और कर का संदाय करने की प्रक्रिया थी। इस संबंध में, विवरणी फाइल करने की प्रस्तावित नयी प्रणाली में, न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ ही लघु करदाताओं के लिए त्रैमासिक रूप से विवरणी फाइल करने और कर का संदाय करने की परिकल्पना की गयी है। विवरणी फाइल करने की नयी प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए, और उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

(i) प्रदाय की परिधि को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 7 को संशोधित करना;

(ii) राज्य सरकार को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों को, जो अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं से कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों के माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय की प्राप्ति के संबंध में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त करेंगे, अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 9 को संशोधित करना;

(iii) प्रशमन उद्ग्रहण की सीमा को एक करोड़ रूपए से बढ़ाकर एक करोड़ पचास लाख रुपए किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 10 को संशोधित करना;

(iv) इनपुट कर प्रत्यय की परिधि को विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 17 को संशोधित करना;

(v) विशेष प्रवर्ग के राज्यों में रजिस्ट्रीकरण के लिए छूट की सीमा को दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 22 को संशोधित करना;

(vi) करदाता को, उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कारबार के बहुल स्थानों के लिए बहुल रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का विकल्प प्रदान करके सुविधा प्रदान करने और विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विकासकर्ता के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 25 को संशोधित करना;

(vii) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी निलंबन के लिए उपबंध अंत:स्थापित किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 29 को संशोधित करना;

(viii) विवरणी फाइल करने और इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की नयी प्रणाली के लिए उपबंध किये जाने हेतु एक नयी धारा 43क अंत:स्थापित करना;

(ix) अपील फाइल करने के लिए संदेय पूर्व जमा की रकम की अधिकतम सीमा को पच्चीस करोड़ रुपए तक नियत किये जाने का उपबंध करने के लिए अपील से संबंधित अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) को संशोधित करना;

(x) माल का निरोध या अभिग्रहण तथा अभिवहन में प्रवहण से संबंधित कालावधि को सात दिवस से बढ़ाकर चौदह दिवस किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 129 को संशोधित करना।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

(क्रमांक: प.2(36)विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 04.09.2018

प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 13, राज्य सरकार को, राज्य में कारबार के बहुल स्थान रखने वाले व्यक्तियों को कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने हेतु अनुज्ञात करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु, सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड 14, राज्य सरकार को, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रक्रिया के दौरान रजिस्ट्रीकरण का निलंबन करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु, सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड 17, राज्य सरकार को, विवरणियां फाइल करने और करों का संदाय करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु, सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड 18, राज्य सरकार को, विवरणियां देने और इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया विहित करने हेतु, सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड 21, राज्य सरकार को, किन्हीं भी करों के इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग किये जाने के क्रम और रीति विहित करने हेतु, सशक्त करता है।

ऐसे मामले, जिनके संबंध में नियम बनाये जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे से संबंधित मामले हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

वसुन्धरा राजे,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) से (3) XX XX XX XX XX

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित करने या विनिश्चय करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण सम्मिलित नहीं है;

(5) से (15) XX XX XX XX XX

(16) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित है-

(क) से (छ) XX XX XX XX XX

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सेवाएं या ऐसे क्लब में सट्टेबाज को अनुज्ञप्ति; और

(झ) XX XX XX XX XX

(18) "कारबार शीर्षका" से किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के, समूह के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं;

(19) से (34) XX XX XX XX XX

(35) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

(36) से (68) XX XX XX XX XX

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-

(क) से (ङ) XX XX XX XX XX

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड; या

(छ) XX XX XX XX XX

(70) से (101) XX XX XX XX XX

(102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं;

(103) से (120) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

7. प्रदाय की परिधि.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रदाय" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किये जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वे कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हों या नहीं;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किये गये या किये जाने के लिए करार पाए गये अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप; और

(घ) अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गये क्रियाकलाप।

(2) XX XX XX XX XX

(3) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें-

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में,

माना जायेगा।

XX XX XX XX XX

9. उद्ग्रहण और संग्रहण.- (1) से (3) XX XX XX XX XX

(4) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जायेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(5) XX XX XX XX XX

10. प्रशमन उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं रहा है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किन्तु जो,-

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा:

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपये की उक्त सीमा को एक करोड़ रुपये से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि-

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;

(ख) से (ङ) XX XX XX XX XX

(3) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

12. माल के प्रदाय का समय.- (1) XX XX XX XX XX

(2) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:-

(क) धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किये जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बाबत् बीजक जारी करने की अपेक्षा है; या

(ख) XX XX XX XX XX

(3) से (6) XX XX XX XX XX

13. सेवाओं के प्रदाय का समय.- (1) XX XX XX XX XX

(2) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:-

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किये जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उप-धारा (2) के अधीन विहित कालावधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उप-धारा (2) के अधीन विहित कालावधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है, या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) ऐसे मामले में, जहां खण्ड (क) या खण्ड (ख) में के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा बहियों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है:

परन्तु जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपये तक की कोई रकम प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण.- खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए-

(i) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जायेगा, जिस तक वह बीजक या, यथास्थिति, संदाय के अंतर्गत आता है;

(ii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि प्रदायकर्ता की लेखा बहियों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय प्रत्यय किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) से (6) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें.- (1) XX XX XX

(2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किये गये किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,-

(क) XX XX XX XX XX

(ख) वह माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी

प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदत्त न कर दिया जाए; और

(घ) XX XX XX XX XX

(3) से (4) XX XX XX XX XX

17. प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन.- (1) से (2) XX XX XX

(3) उप-धारा (2) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

(4) XX XX XX XX XX

(5) धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 18 की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग-

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:-

(क) ऐसे यानों या प्रवहणों के और प्रदाय के लिए; या

(ख) यात्रियों के परिवहन के लिए; या

(ग) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए;

(ii) माल के परिवहन के लिए;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए-

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के

आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के कारक के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां-

(क) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है; या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप किया जाता है; और

(iv) प्रावकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत;

(ग) से (झ) XX XX XX XX XX

(6) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.- (1) से (2) XX XX

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) से (ख) XX XX XX XX XX

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, प्रदाय में लगे हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।

XX XX XX XX XX

22. रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति.- (1) राज्य में माल या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय को करने वाला प्रत्येक प्रदायकर्ता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रुपये से अधिक है:

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रुपये से अधिक है।

(2) से (4) XX XX XX XX XX

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए,-

(i) से (ii) XX XX XX XX XX

(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उप-खण्ड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

XX XX XX XX XX

24. कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.- धारा 22 की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,-

(i) से (ix) XX XX XX XX XX

(x) प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक;

(xi) से (xii) XX XX XX XX XX

25. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायित्वाधीन है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्वाधीन होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड से कोई प्रदाय करता है, ऐसे राज्य में, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु उस राज्य में अवस्थित है, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जायेगा:

परन्तु एक राज्य में बहुल कारबार शीर्षका रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।

(3) से (12) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.- (1) समुचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किये गये आवेदन पर, ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,-

(क) से (ख) XX XX XX XX XX

(ग) धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति , धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए इससे अधिक दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,-

(क) से (ङ) XX XX XX XX XX

परन्तु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

(3) से (6) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

34. जमा पत्र और नामे नोट.- (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभावित कराधेय मूल्य या कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किये गये माल को वापिस किया जाता है या जहां प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों में कमी पायी जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों का प्रदाय किया है प्रदायकर्ता को ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट जमा पत्र जारी कर सकेगा।

(2) XX XX XX XX XX

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर, कराधेय मूल्य या ऐसे प्रदाय के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट नामे नोट जारी करेगा।

(4) XX XX XX XX XX

35. लेखे और अन्य अभिलेख.- (1) से (4) XX XX XX XX

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उप-धारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति से प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

(6) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

39. विवरणियां देना.- (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों के आवक और जावक प्रदाय, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(2) से (6) XX XX XX XX XX

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गयी है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, अंतिम तारीख से, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

(8) XX XX XX XX XX

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, लेखापरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(10) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

48. माल और सेवा कर व्यवसायी.- (1) XX XX XX XX

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को, धारा 37 के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) XX XX XX XX XX

49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकम का संदाय.- (1) XX XX XX

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वत: निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जायेगा।

(3) से (4) XX XX XX XX XX

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलेक्ट्रानिक जमा खाते में निम्नलिखित के मद्धे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम-

(क) से (ख) XX XX XX XX XX

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा;

(ङ) से (च) XX XX XX XX XX

(6) से (9) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

52. स्रोत पर कर का संग्रहण.- (1) से (8) XX XX XX XX

(9) प्रचालक द्वारा जहां उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत जावक प्रदायकर्ताओं के ब्यौरे धारा 37 के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते है तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जायेगी।

(10) से (14) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

54. कर का प्रतिदाय.- (1) से (7) XX XX XX XX XX

(8) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किये जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जायेगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है-

(क) शून्य अंकित माल या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसे शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर संदत्त कर का प्रतिदाय;

(ख) से (घ) XX XX XX XX XX

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई अन्य रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया था; या

(च) XX XX XX XX XX

(9) से (14) XX XX XX XX XX

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(1) XX XX XX XX XX

(2) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क) से (ख) XX XX XX XX XX

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किये गये इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख-

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की प्राप्ति, जहां सेवाओं के प्रदाय को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया था; या

(ii) XX XX XX XX XX

(घ) XX XX XX XX XX

(ङ) उप-धारा (3) के अधीन उपयोग न किये गये इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्तीय वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है;

(च) से (ज) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

79. कर की वसूली.- (1) से (3) XX XX XX XX XX

(4) जहां उप-धारा (3) के अधीन वसूल की गयी रकम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में जमा की जाने वाली रकम प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में होगी।

XX XX XX XX XX

107. अपील प्राधिकारी को अपील.- (1) से (5) XX XX XX XX

(6) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता ने-

(क) XX XX XX XX XX

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उद्भूत विवाद में कर की शेष रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो।

(7) से (16) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

112. अपील अधिकरण को अपील.- (1) से (7) XX XX XX XX

(8) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक अपीलार्थी ने-

(क) XX XX XX XX XX

(ख) धारा 107 की उप-धारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उत्पन्न विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि संदत्त न कर दी गयी हो।

(9) से (10) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

129. माल का निरोध, अभिग्रहण और निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण.- (1) से (5) XX XX XX XX XX

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का, ऐसे निरोध या अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर, संदाय करने में असफल रहता है वहां आगे की कार्यवाहियां धारा 130 के उपबंधों के अनुसार आरंभ की जाएंगी:

परन्तु जहां निरूद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने योग्य या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास होने की संभावना है तो उक्त सात दिवस की कालावधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

XX XX XX XX XX

143. छुटपुट कार्य की प्रक्रिया.- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान"कहा गया है) सूचना के अधीन और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं,छुटपुट कार्य के लिए, छुटपुट कर्मकार को, कर का संदाय

किये बिना कोई इनपुट या पूंजी माल भेज सकेगा और वहां से तत्पश्चात् दूसरे और इसी तरह के छुटपुट कर्मकार को भेज सकेगा, और,-

(क) XX XX XX XX XX

(ख) सांचा और डाई, जिग और फिक्सचरों, या औजारों से भिन्न छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा ऐसे इनपुट, या पूंजी माल का, भारत के भीतर कर के संदाय पर, या निर्यात के लिए कर से संदाय के सहित या, यथास्थिति, कर के संदाय के बिना, छुटपुट कर्मकार के कारबार के किसी स्थान से उनके बाहर भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, प्रदाय करेगा:

परन्तु प्रधान, इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार किसी छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल का प्रदाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उक्त प्रधान, निम्नलिखित मामलों के सिवाए, छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान को उसके कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित नहीं करता है-

(i) जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल के प्रदाय में लगा हुआ है जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

अनुसूची 1

[धारा 7 देखें]

प्रतिफल के बिना किये गये क्रियाकलाप भी प्रदाय के रूप में माने जायेंगे

1. से 3. XX XX XX XX XX

4. किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में, भारत से बाहर किसी संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात।

अनुसूची 2

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जायेगा

1. से 7. XX XX XX XX XX

अनुसूची 3

[धारा 7 देखें]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

1. से 5. XX XX XX XX XX

6. लाटरी, दांव और जुआं से भिन्न अनुयोज्य दावे।

स्पष्टीकरण.- पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, पद "न्यायालय" में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सम्मिलित है।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 28 of 2018

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) in clause (4), for the existing expression “the Appellate Authority and the Appellate Tribunal”, the expression “the Appellate Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of section 171” shall be substituted;

(b) in clause (16), for the existing expression “Central Board of Excise and Customs”, the expression “Central Board of Indirect Taxes and Customs” shall be substituted;

(c) for the existing sub-clause (h) of clause (17), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(h) activities of a race club including by way of totalisator or a licence to book maker or activities of a licensed book maker in such club; and";

(d) the existing clause (18) shall be deleted;

(e) in clause (35), for the existing expression "clause (c)", the expression "clause (b)" shall be substituted;

(f) in sub-clause (f) of clause (69), after the existing expression "article 371" and before the existing expression "of the Constitution", the expression "and article 371J" shall be inserted; and

(g) in clause (102), the following Explanation shall be added, namely:—

"**Explanation.—**For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "services" includes facilitating or arranging transactions in securities;".

3. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 7 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,—

(a) in sub-section (1) —

(i) in clause (b), after the existing expression "or furtherance of business;", the word "and" shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted;

(ii) in clause (c), for the existing expression "; and" appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted; and

(iii) the existing clause (d) shall be deleted and shall always be deemed to have been deleted;

(b) after the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2), the following sub-section shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:—

"(1A) where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of sub-section (1), they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II."; and

(c) in sub-section (3), for the existing expression "sub-sections (1) and (2)", the expression "sub-sections (1), (1A) and (2)" shall be substituted.

4. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 9 of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify a class of registered persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both.".

5. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 10 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) —

(i) for the existing expression "in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate", the expression "in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate" shall be substituted;

(ii) in proviso, for the existing expression "one crore rupees", the expression "one crore and fifty lakh rupees" and for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(iii) after the proviso so amended, the following proviso shall be added, namely:–

"Provided further that a person who opts to pay tax under clause (a) or clause (b) or clause (c) may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II), of value not exceeding ten per cent of turnover in the State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher."; and

(b) in sub-section (2), for the existing clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) save as provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;".

6. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the principal Act, the existing expression "sub-section (1) of" shall be deleted.

7. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 13 of the principal Act, the existing expression "sub-section (2) of" occurring in clauses (a) and (b) shall be deleted.

8. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 16 of the principal Act,—

(a) in clause (b), for the existing explanation, the following explanation shall be substituted, namely:—

"**Explanation.—**For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services–

(i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person."; and

(b) in clause (c), for the existing expression "section 41", the expression "section 41 or section 43A" shall be substituted.

9. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 17 of the principal Act,—

(a) in sub-section (3), the following explanation shall be added, namely:—

"**Explanation.—**For the purposes of this sub-section, the expression ''value of exempt supply'' shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule.";

(b) in sub-section (5), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:—

(A) further supply of such motor vehicles; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on driving such motor vehicles;

(aa) vessels and aircraft except when they are used—

(i) for making the following taxable supplies, namely:—

(A) further supply of such vessels or aircraft; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on navigating such vessels; or

(D) imparting training on flying such aircraft;

(ii) for transportation of goods;

(ab) services of general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):

Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available—

(i) where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purposes specified therein;

(ii) where received by a taxable person engaged—

(I) in the manufacture of such motor vehicles, vessels or aircraft; or

(II) in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him;

(b) the following supply of goods or services or both—

(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

(ii) membership of a club, health and fitness centre; and

(iii) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for

an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force.”.

10. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (c) of explanation to section 20 of the principal Act, for the existing expression “under entry 84”, the expression “under entries 84 and 92A” shall be substituted.

11. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 22 of the principal Act,—

(a) in proviso to sub-section (1), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the proviso so amended, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from a special category State in respect of which the Central Government has enhanced the aggregate turnover referred to in the first proviso, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds the amount equivalent to such enhanced turnover."; and

(b) in clause (iii) of explanation, after the existing word “Constitution” and before the existing punctuation mark ".", the expression “ except the State of Jammu and Kashmir and States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand” shall be inserted.

12. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (x) of section 24 of the principal Act, after the existing expression “commerce operator” and before the existing punctuation mark ";", the expression “who is required to collect tax at source under section 52” shall be inserted.

13. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 25 of the principal Act,—

(a) in proviso to sub-section (1), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the proviso so amended, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that a person having a unit, as defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005), in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall have to apply for a separate registration, as distinct from his place of business located outside the Special Economic Zone in the State."; and

(b) for the existing proviso to sub-section (2), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that a person having multiple places of business in the State may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions as may be prescribed.".

14. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 29 of the principal Act,—

(a) in heading, after the existing word “Cancellation” and before the word "of", the expression “or suspension” shall be inserted;

(b) in clause (c) of sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", the punctuation mark ":" shall be substituted and after the clause (c) so amended, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed.”; and

(c) in proviso to sub-section (2), for the existing punctuation mark ".", the punctuation mark ":" shall be substituted and after the proviso so amended, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed.”.

15. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 34 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the existing expression “Where a tax invoice has”, the expression “Where one or more tax invoices have” shall be substituted; and

(ii) for the existing expression “a credit note”, the expression “one or more credit notes for supplies made in a financial year” shall be substituted; and

(b) in sub-section (3),—

(i) for the existing expression “Where a tax invoice has”, the expression “Where one or more tax invoices have” shall be substituted; and

(ii) for the existing expression “a debit note”, the expression “one or more debit notes for supplies made in a financial year” shall be substituted.

16. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (5) of section 35 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", the punctuation mark ":" shall be substituted and after the sub-section (5) so amended, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.".

17. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the existing expression "in such form and manner as may be prescribed", the expression "in such form, manner and within such time as may be prescribed" shall be substituted;

(ii) the existing expression "on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof" shall be deleted; and

(iii) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the sub-section (1) so amended, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall furnish return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.";

(b) in sub-section (7), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the sub-section (7) so amended, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall pay to the Government the tax due or part thereof as per the return on or before the last date on which he is required to furnish such return, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein."; and

(c) in sub-section (9),—

(i) for the existing expression "in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are

noticed", the expression "in such form and manner as may be prescribed" shall be substituted; and

(ii) in proviso, for the existing expression “the end of the financial year”, the expression “the end of the financial year to which such details pertain” shall be substituted.

18. Insertion of new section 43A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 43 and before the existing section 44 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

“**43A. Procedure for furnishing return and availing input tax credit.-**(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers.

(2) Notwithstanding anything contained in section 41, section 42 or section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such as may be prescribed.

(3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed.

(4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the suppliers under the said sub-section.

(5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.

(6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.

(7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.

(8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which can be furnished under sub-section (3) by a registered person,—

(i) within six months of taking registration;

(ii) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount,

shall be such as may be prescribed.”.

19. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 48 of the principal Act, after the existing expression “section 45” and before the existing expression "in such manner", the expression “and to perform such other functions” shall be inserted.

20. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 49 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), for the existing expression “section 41”, the expression “section 41 or section 43A” shall be substituted; and

(b) in sub-section (5),—

(i) in clause (c), for the existing punctuation mark ";", the punctuation mark ":" shall be substituted and after the clause (c) so amended, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;”; and

(ii) in clause (d), for the existing punctuation mark ";", the punctuation mark ":" shall be substituted and after the clause (d) so amended, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;”.

21. Insertion of new sections 49A and 49B, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 49 and before the existing section 50 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

“**49A. Utilisation of input tax credit subject to certain conditions.-** Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax or State tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully towards such payment.

49B. Order of utilisation of input tax credit.- Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to the provisions of clause (e) and clause (f) of sub-section (5) of section 49, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilisation of the input tax credit on account of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax.”.

22. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (9) of section 52 of the principal Act, for the existing expression “section 37”, the expression “section 37 or section 39” shall be substituted.

23. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 54 of the principal Act,—

(a) in clause (a) of sub-section (8), for the existing expressions “on zero-rated supplies” and "such zero-rated supplies", the expressions "on export" and "such exports" shall respectively be substituted; and

(b) in clause (2) of the Explanation,—

(i) in item (i) of sub-clause (c), after the existing expression “foreign exchange” and before the existing expression ", where the supply", the expression “or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India” shall be inserted; and

(ii) for existing sub-clause (e), the following shall be substituted, namely:—

“(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3), the due date for furnishing of return under section 39 for the period in which such claim for refund arises;”.

24. Amendment of section 79, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 79 of the principal Act, after the existing sub-section (4), the following explanation shall be added, namely:—

"**Explanation.—**For the purposes of this section, the word “person” shall include “distinct persons” as referred to in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25.".

25. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (b) of sub-section (6) of section 107 of the principal Act, after the existing expression “arising from the said order,” and before the existing expression "in relation to", the expression “subject to a maximum of twenty-five crore rupees” shall be inserted.

26. Amendment of section 112, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (b) of sub-section (8) of section 112 of the principal Act, after the existing expression “arising from the said order,” and before the existing expression "in relation to", the expression “subject to a maximum of fifty crore rupees” shall be inserted.

27. Amendment of section 129, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 129 of the principal Act, for the existing expression “seven days” wherever occurring, the expression “fourteen days” shall be substituted.

28. Amendment of section 143, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 143 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the proviso so amended, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that the period of one year and three years may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding one year and two years respectively.”.

29. Amendment of Schedule I, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In paragraph 4 of Schedule I of the principal Act, for the existing expression “taxable person”, the expression “person” shall be substituted.

30. Amendment of Schedule II, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In the heading of Schedule II of the principal Act, after the existing word “ACTIVITIES” and before the existing expression "TO BE", the expression “OR TRANSACTIONS” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017.

31. Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In Schedule III of the principal Act, —

(i) after the existing paragraph 6 and before the existing explanation, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

“7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.

8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;

(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.";

(ii) The existing explanation shall be numbered as Explanation 1 and after Explanation 1 as so numbered, the following explanation shall be added, namely:—

"**Explanation 2.—** For the purposes of paragraph 8, the expression "warehoused goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (Central Act No. 52 of 1962).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State of Rajasthan.

The Act provides for certain provisions for smooth transition of existing taxpayers to new goods and services tax regime. However, the new tax regime had faced certain difficulties. One of the major inconveniences caused to the taxpayers, especially small and medium enterprises, was the process of filing return and payment of tax under the Goods and Services Tax laws. In this regard, the proposed new return filing system envisages quarterly filing of return and tax payment for small taxpayers along with minimum paperwork. In order to implement the new return filing system, and also to overcome the above difficulties, it is proposed to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018, *inter alia*, provides for the following, namely:—

(i) to amend section 7 of the Act to clarify the scope of supply;

(ii) to amend section 9 of the Act empowering the State Government to notify classes of registered persons to pay the tax on reverse charge basis in respect of receipt of supplies of certain specified categories of goods or services or both from unregistered suppliers;

(iii) to amend section 10 of the Act so as to enhance the limit of composition levy from one crore rupees to one crore and fifty lakh rupees;

(iv) to amend section 17 of the Act to specify the scope of input tax credit;

(v) to amend section 22 of the Act to enhance the exemption limit for registration in the special category States from ten lakh rupees to twenty lakh rupees;

(vi) to amend section 25 of the Act so as to facilitate tax payer to have the option to obtain multiple registrations for multiple places of business located within the same State or Union territory and to provide for separate registration for Special Economic Zone unit or developer;

(vii) to amend section 29 of the Act so as to insert a provision for temporary suspension of registration while cancellation of registration is under process;

(viii) to insert a new section 43A so as to provide for the new system of filing return and availing input tax credit;

(ix) to amend sub-section (*6*) of section 107 of the Act relating to Appeals so as to provide that the amount of pre-deposit payable for filing of appeal shall be capped at twenty five crore rupees;

(x) to amend section 129 of the Act so as to increase the period relating to detention or seizure of goods and conveyance in transit from seven days to fourteen days.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

Hence the Bill.

olqU/kjk jkts]
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन
माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

(क्रमांक: प.2(36)विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक: 04.09.2018
प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान

विधान सभा, जयपुर)

राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

olqU/kjk jkts]
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 13 of the Bill empowers the State Government to prescribe the procedure for allowing persons having multiple places of business in the State to obtain separate registrations for each such place of business.

Clause 14 of the Bill empowers the State Government to prescribe the procedure for suspension of registration while cancellation of registration is under process.

Clause 17 of the Bill empowers the State Government to prescribe the procedure for filing of returns and payment of taxes.

Clause 18 of the Bill empowers the State Government to prescribe the procedure for furnishing returns and availing input tax credit.

Clause 21 of the Bill empowers the State Government to prescribe the order and manner of utilisation of input tax credit of any of the taxes.

The matters in respect of which the rules may be made are generally matters of procedure and administrative details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

olqU/kjk jkts]
Minister Incharge

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017 (Act No. 9 of 2017)

XX XX XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(1) to (3) xx xx xx xx xx xx xx

(4) "adjudicating authority" means any authority, appointed or authorised to pass any order or decision under this Act, but does not include the Commissioner, Revisional Authority, the Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority and the Appellate Tribunal;

(5) to (15) xx xx xx xx xx xx xx

(16) "Board" means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (Central Act No. 54 of 1963);

(17) "business" includes-

(a) to (g) xx xx xx xx xx xx

(h) services provided by a race club by way of totalisator or a licence to book maker in such club; and

(i) xx xx xx xx xx xx

(18) "business vertical" means a distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risks and returns that are different from those of the other business verticals.

Explanation.- For the purposes of this clause, factors that should be considered in determining whether goods or services are related include-

(a) the nature of the goods or services;

(b) the nature of the production processes;

(c) the type or class of customers for the goods or services;

(d) the methods used to distribute the goods or supply of services; and

(e) the nature of regulatory environment (wherever applicable), including banking, insurance or public utilities;

(19) to (34) xx xx xx xx xx xx xx

(35) "cost accountant" means a cost accountant as defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (Central Act No. 23 of 1959) ;

(36) to (68) xx xx xx xx xx xx xx

(69) "local authority" means-

(a) to (e) xx xx xx xx xx xx

(f) a Development Board constituted under article 371 of the Constitution; or

(g) xx xx xx xx xx xx

(70) to (101) xx xx xx xx xx xx xx

(102) "services" means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged;

(103) to (120) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

7. Scope of supply.- (1) For the purposes of this Act, the expression "supply" includes-

(a) all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business;

(b) import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business;

(c) the activities specified in Schedule I, made or agreed to be made without a consideration; and

(d) the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.

(2) xx xx xx xx xx xx

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Government may, on the recommendations of the Council, specify, by notification, the transactions that are to be treated as-

(a) a supply of goods and not as a supply of services; or

(b) a supply of services and not as a supply of goods.

XX XX XX XX XX XX XX

9. Levy and collection.- (1) to (3) xx xx xx xx

(4) The State tax in respect of the supply of taxable goods or services or both by a supplier, who is not registered, to a registered person shall be paid by such person on reverse charge basis as the recipient and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both.

(5) xx xx xx xx xx xx xx

10. Composition levy.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees may opt to pay, in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding,-

(a) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer,

(b) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II, and

(c) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers,

subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:

Provided that the Government may, by notification, increase the said limit of fifty lakh rupees to such higher amount, not exceeding one crore rupees, as may be recommended by the Council.

(2) The registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if-

(a) he is not engaged in the supply of services other than supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II;

(b) to (e) xx xx xx xx xx xx xx

(3) to (5) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

12. Time of supply of goods.- (1) xx xx xx xx xx

(2) The time of supply of goods shall be the earlier of the following dates, namely:-

(a) the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required, under sub-section (1) of section 31, to issue the invoice with respect to the supply; or

(b) xx xx xx xx xx xx xx

(3) to (6) xx xx xx xx xx xx xx

13. Time of supply of services.- (1) xx xx xx xx

(2) The time of supply of services shall be the earliest of the following dates, namely:-

(a) the date of issue of invoice by the supplier, if the invoice is issued within the period prescribed under sub-section (2) of section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or

(b) the date of provision of service, if the invoice is not issued within the period prescribed under sub-section (2) of section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or

(c) the date on which the recipient shows the receipt of services in his books of account, in a case where the provisions of clause (a) or clause (b) do not apply:

Provided that where the supplier of taxable service receives an amount upto one thousand rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excess amount.

Explanation.- For the purposes of clauses (a) and (b)-

(i) the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or, as the case may be, the payment;

(ii) "the date of receipt of payment" shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

(3) to (6) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

16. Eligibility and conditions for taking input tax credit.- (1) xx xx

(2) Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless,-

(a) xx xx xx xx xx xx xx

(b) he has received the goods or services or both.

Explanation.- For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(c) subject to the provisions of section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of the said supply; and

(d) xx xx xx xx xx xx xx

(3) to (4) xx xx xx xx xx xx

17. Apportionment of credit and blocked credits.- (1) to (2) xx xx

(3) The value of exempt supply under sub-section (2) shall be such as may be prescribed, and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transactions in securities, sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.

(4) xx xx xx xx xx xx xx

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and sub-section (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely:-

(a) motor vehicles and other conveyances except when they are used-

(i) for making the following taxable supplies, namely:-

(A) further supply of such vehicles or conveyances; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on driving, flying, navigating such vehicles or conveyances;

(ii) for transportation of goods;

(b) the following supply of goods or services or both-

(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery except where an inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

(ii) membership of a club, health and fitness centre;

(iii) rent-a-cab, life insurance and health insurance except where -

(A) the Government notifies the services which are obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force; or

(B) such inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as part of a taxable composite or mixed supply; and

(iv) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession;

(c) to (i) xx xx xx xx xx xx xx

(6) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

20. Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.- (1) to (2) xx xx xx xx xx xx

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) to (b) xx xx xx xx xx xx xx

(c) the term "turnover", in relation to any registered person engaged in the supply of taxable goods as well as goods not taxable under this Act, means the value of turnover, reduced by the amount of any duty or tax levied under entry 84 of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule.

XX XX XX XX XX XX XX

22. Persons liable for registration.- (1) Every supplier making a taxable supply of goods or services or both in the State shall be liable to be registered under this Act if his aggregate turnover in a financial year exceeds twenty lakh rupees:

Provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category States, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds ten lakh rupees.

(2) to (4) xx xx xx xx xx xx xx

Explanation.- For the purposes of this section,-

(i) to (ii) xx xx xx xx xx xx

(iii) the expression "special category States" shall mean the States as specified in sub-clause (G) of clause (4) of article 279A of the Constitution.

XX XX XX XX XX XX XX

24. Compulsory registration in certain cases.- Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22, the following categories of persons shall be required to be registered under this Act,-

(i) to (ix) xx xx xx xx xx xx xx

(x) every electronic commerce operator;

(xi) to (xii) xx xx xx xx xx xx xx

25. Procedure for registration.- (1) Every person who is liable to be registered under section 22 or section 24 shall apply for registration within thirty days from the date on which he becomes liable to registration, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that a casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least five days prior to the commencement of business.

Explanation.- Every person who makes a supply from the territorial waters of India shall obtain registration in the State where the nearest point of the appropriate baseline is located in the State.

(2) A person seeking registration under this Act shall be granted a single registration:

Provided that a person having multiple business verticals in the State may be granted a separate registration for each business vertical, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) to (12) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

29. Cancellation of registration.- (1) The proper officer may, either on his own motion or on an application filed by the registered person or by his legal heirs, in case of death of such person, cancel the registration, in such manner and within such period as may be prescribed, having regard to the circumstances where,-

(a) to (b) xx xx xx xx xx xx xx

(c) the taxable person, other than the person registered under sub-section (3) of section 25, is no longer liable to be registered under section 22 or section 24.

(2) The proper officer may cancel the registration of a person from such date, including any retrospective date, as he may deem fit, where,-

(a) to (e) xx xx xx xx xx xx xx

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

(3) to (6) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

34. Credit and debit notes.- (1) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person, who has supplied such goods or services or both, may issue to the recipient a credit note containing such particulars as may be prescribed.

(2) xx xx xx xx xx xx xx

(3) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person, who has supplied such goods or services or both, shall issue to the recipient a debit note containing such particulars as may be prescribed.

(4) xx xx xx xx xx xx xx

35. Accounts and other records.- (1) to (4) xx xx xx xx

(5) Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under sub-section (2) of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed.

(6) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

39. Furnishing of returns.- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars as may be prescribed on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof.

(2) to (6) xx xx xx xx xx xx xx

(7) Every registered person, who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return.

(8) xx xx xx xx xx xx xx

(9) Subject to the provisions of sections 37 and 38, if any registered person after furnishing a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest under this Act:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of the financial year, or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier.

(10) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

48. Goods and services tax practitioners.- (1) xx xx xx

(2) A registered person may authorise an approved goods and services tax practitioner to furnish the details of outward supplies under section 37, the details of inward supplies under section 38 and the return under section 39 or section 44 or section 45 in such manner as may be prescribed.

(3) xx xx xx xx xx xx xx xx

49. Payment of tax, interest, penalty and other amounts.- (1) xx xx

(2) The input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger, in accordance with section 41, to be maintained in such manner as may be prescribed.

(3) to (4) xx xx xx xx xx xx xx

(5) The amount of input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered person on account of –

(a) to (b) xx xx xx xx xx xx xx

(c) the State tax shall first be utilised towards payment of State tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(d) the Union territory tax shall first be utilised towards payment of Union territory tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(e) to (f) xx xx xx xx xx xx xx

(6) to (9) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

52. Collection of tax at source.- (1) to (8) xx xx xx xx

(9) Where the details of outward supplies furnished by the operator under sub-section (4) do not match with the corresponding details furnished

by the supplier under section 37, the discrepancy shall be communicated to both persons in such manner and within such time as may be prescribed.

(10) to (14) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

54. Refund of tax.- (1) to (7) xx xx xx xx xx

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the refundable amount shall, instead of being credited to the Fund, be paid to the applicant, if such amount is relatable to -

(a) refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services or both or on inputs or input services used in making such zero-rated supplies;

(b) to (f) xx xx xx xx xx xx xx

(9) to (14) xx xx xx xx xx xx xx

Explanation.- For the purposes of this section,-

(1) xx xx xx xx xx xx

(2) “relevant date” means –

(a) to (b) xx xx xx xx xx

(c) in the case of services exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of services themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in such services, the date of-

(i) receipt of payment in convertible foreign exchange, where the supply of services had been completed prior to the receipt of such payment; or

(ii) xx xx xx xx xx

(d) xx xx xx xx xx

(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under sub-section (3), the end of the financial year in which such claim for refund arises;

(f) to (h) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

79. Recovery of tax.- (1) to (3) xx xx xx xx xx

(4) Where the amount recovered under sub-section (3) is less than the amount due to the Central Government and State Government, the amount to be credited to the account of the respective Governments shall be in proportion to the amount due to each such Government.

XX XX XX XX XX XX XX

107. Appeals to Appellate Authority.- (1) to (5) xx xx xx

(6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-

(a) xx xx xx xx xx xx xx

(b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed.

(7) to (16) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

112. Appeals to Appellate Tribunal.- (1) to (7) xx xx xx

(8) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-

(a) xx xx xx xx xx xx xx

(b) a sum equal to twenty per cent. of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of section 107, arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed.

(9) to (10) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

129. Detention, seizure and release of goods and conveyances in transit.- (1) to (5) xx xx xx xx xx xx

(6) Where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax and penalty as provided in sub-section (1) within seven days of such detention or seizure, further proceedings shall be initiated in accordance with the provisions of section 130:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of seven days may be reduced by the proper officer.

XX XX XX XX XX XX XX

143. Job work procedure.- (1) A registered person (hereafter in this section referred to as the "principal") may, under intimation and subject to such conditions as may be prescribed, send any inputs or capital goods, without payment of tax, to a job worker for job work and from there subsequently send to another job worker and likewise, and shall,-

(a) xx xx xx xx xx xx xx

(b) supply such inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively, of their being sent out from the place of business of a job worker on payment of tax within India, or with or without payment of tax for export, as the case may be:

Provided that the principal shall not supply the goods from the place of business of a job worker in accordance with the provisions of this clause unless the said principal declares the place of business of the job worker as his additional place of business except in a case-

(i) where the job worker is registered under section 25; or

(ii) where the principal is engaged in the supply of such goods as may be notified by the Commissioner.

(2) to (5) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

SCHEDULE I

[See section 7]

ACTIVITIES TO BE TREATED AS SUPPLY EVEN IF MADE WITHOUT CONSIDERATION

1. to 3. xx xx xx xx xx xx xx

4. Import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishments outside India, in the course or furtherance of business.

SCHEDULE II

[See section 7]

ACTIVITIES TO BE TREATED AS SUPPLY OF GOODS OR SUPPLY OF SERVICES

1. to 7. xx xx xx xx xx xx xx

SCHEDULE III

[See section 7]

ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

1. to 5. xx xx xx xx xx xx xx

(6) Actionable claims, other than lottery, betting and gambling.

Explanation.- For the purposes of paragraph 2, the term “court” includes District Court, High Court and Supreme Court.

XX XX XX XX XX XX XX